HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2584/2026

Vinod Kumar S/o Ramswaroop, Aged About 30 Years, R/o Safipura Tehsil Bamanwas Police Station Bamanwas Dist. Sawaimadhopur, Rajasthan. (At Present Accused Confined In District Jail Dausa).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nitesh Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रार्थना पत्र पुलिस थाना **कोतवाली जिला दौसा** की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **104/2022** न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण (सेशन न्यायाधीश) दौसा जिला दौसा के सेशन **प्रकरण संख्या 20/2022 सरकार/बनाम/महेश आदि** अपराध अंतर्गत धारा 8/20, 29 एनडीपीएस एक्ट में प्रस्तुत कर जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के दिनांक 07.02.2024 को विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था इस कारण उसकी जमानत जब्त कर दी गई थी। उसके पश्चात् उसने स्वयं ही दिनांक 18.09.2024 को विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायालय द्वारा उसे जमानत की सुविधा दी गई थी, परंतु पुनः दिनांक 17.07.2025 को अनुपस्थित होने से जमानत मुचलके जब्त कर लिए गए तथा गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में उसे दिनांक 23.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तब से ही अभिरक्षा में है। उनका कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के

अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित जमानत की राशि जमा कराने को तैयार है। वह भविष्य में प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा। अतः जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 26.02.2026 की रिपोर्ट पेश की जिसमें अभियुक्त के अनुपस्थित रहने से गिरफ्तार होने तक की अवधि में किसी प्रकार का मुकदमा कायम होना नहीं अंकित किया गया है।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित जब्तशुदा राशि अंतर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता (491 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) जमा कराने का विश्वास दिलाया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति, योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं आश्वासन को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र **सशर्त** स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र इस शर्त पर कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर **व्यक्तिगत रूप से** उपस्थित होता रहेगा एवं **आदेश की दिनांक से 15 दिन के भीतर विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित राशि अंतर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता (491 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) तुरन्त जमा करा देगा,** विचारण को अपनी ओर से लम्बित नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये** की दो प्रतिभूतियॉ प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /178